

परिणय सेतु मैरिज ब्यूरो

संक्षिप्त परिचय

संचालक

श्रीमती रचना श्रीवास्तव मो. 9479425710

~~<u>~</u>

सह-संचालक

मुकेश श्रीवास्तव

मो. 9425702005

~

ब्यूरो-प्रबंधक

डॉ. विमलेन्द्र सिंह राठौर

मो. 942533547

~~**~**

ब्यूरो-सलाहकार

श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव

मो. 9926664177 _______

संस्था का नाम

: परिणय सेतु मैरिज ब्यूरो

पंजीयन क्रमांक

: GWL231007SE004361

पंजीयन कार्यालय : ग्वालियर (म.प्र.)

संस्था का पता

: सी-11, विनय नगर, सेक्टर 3, बिजली घर के पीछे

ग्वालियर 474012 (म.प्र.)

मोबाईल नं.

: 9479425710, 9425702005

फेसबुक पेज

वेबसाइट

: www.parinaysetu.in

व्हाट्स अप नम्बर : 9479425710

ई-मेल आईडी : parinaysetu2701@gmail.com

कार्यकारिणी सदस्य

निरूपमा शर्मा मो. 7222969311

निधि बंसल मो. 9752892129

पल्लवी अग्निहोत्री मो. 9999306326

प्रस्तावना

विवाह मानव जीवन की अनिवार्यता है यह मानव जीवन के सोलह संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है हर एक का सपना होता है कि वह एक सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करे। सभी माता पिता चाहते हैं कि संतान एक परिपूर्ण जीवन का आनन्द प्राप्त करे। जीवन को इस परिपूर्णता के लिये एक अच्छे जीवन साथी की खोज विवाह होने तक जारी रहती है।

माना जाता है कि विवाह के बिना जीवन अपूर्ण है, असफल विवाह बोझ बन जाता है। तेजी से परिवर्तित हो रहे सामाजिक परिवेश में एक ऐसे जीवन साथी की खोज जो जीवन को परिपूर्ण करे, एक जटिल प्रक्रिया हो गई है।

पूर्व में विवाह की पारंपरिक व्यवस्था आज की आधुनिक व्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी, पारंपरिक व्यवस्था में यह कार्य परिवार के बुजुर्गों और पण्डित/पुरोहितों के द्वारा किया जाता था, लेकिन समय के साथ आये परिवर्तनों से बढ़रही व्यस्तता, समाज के प्रति नीरसता, एकाकीपन एवं पहले की तरह खानदान का विस्तार तो रहा नहीं, परिवार सिमटकर पित पत्नी और बच्चों तक रह गया है। ऐसे में शादी के लिये परिवार/खानदान की जाँच पड़ताल करना मुश्किल होता जा रहा है।

अखबार के विज्ञापन, समाज द्वारा प्रकाशित विवाह पत्रिका या इंटरनेट के माध्यम से की जा रही शादी की सही जाँच पड़ताल हो पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह दो जिन्दिगयों का सवाल है। जब तक सामने वाले पक्ष के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त न कर लें शादी के लिये जल्दबाजी नहीं करना चाहिये जिससे आपको उम्रभर पछताना न पड़जाये।

इन्ही सब कारणों के चलते विवाह के रिश्तों की जटिलता को बढ़ा दिया है। इस कारण व्यक्ति/समाज को मैरिज ब्यूरो पर आश्रित होने के लिये मजबूर किया है।

इस सामाजिक समस्या के समाधान के <mark>लिये हम बीते लम्बे स</mark>मय से विचार मंथन कर रहे हैं और समस्या के समाधान के रूप में हमने परिणय सेतू मैरिज ब्यूरो की स्थापना की है।

- परिणय सेतु वह प्लेटफार्म है जहाँ हिन्दू समाज के अंतरजातीय एवं सजातीय विवाह के सभी वर्गों के इच्छुक लोगों के लिये जीवन साथी की खोज सहज सरल और अधिक विश्वसनीय होगी।
- 2. चयनित विवाह योग्य युवक/युवती के अभिभावक मिलने से पहले ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी सत्यापित कराकर मिलने की योजना बनायें ताकि दोनो पक्षों का अनावश्यक धन एवं समय बचाया जा सके।
- 3. बायोखटा के कुछ कालम/जानकारियाँ असहज लग सकती हैं। लेकिन ब्यूरों का उद्देश्य आपसे सही एवं सत्यापित जानकारी लेना एवं देना है। अत: विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये आपका सहयोग अपेक्षित है।

- 4. प्राय: देखा गया है कि डिजिटल/पत्रिका मैरिज ब्यूरो से युवक/युवती का बायोडाटा तो मिल जाता है लेकिन व्यक्तिगत रूप से बायोडाटा की सही जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। परिणय सेतु मैरिज ब्यूरो जो भी जानकारी बायोडाटा में लेता है/देता है वह ब्यूरो की टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर साझा की जाती हैं।
- 5. डिजिटल/पित्रका से जो भी जानकारी मिलती है उसके बाद दोनों पक्ष सोशल मीडिया द्वारा या व्यक्तिगत रूप से मिलकर बायोडाटा की जानकारियाँ सही-सही जानने का प्रयास करते हैं। जब कि हमारा ब्यूरो आपको यही जानकारियाँ मिलने से पहले देने की बात करता है। जिससे आपका समय व धन दोनों को बचाया जा सके।
- 6. प्राय: देखा गया है कि कुछ प्रकरण में डिजिटल/पत्रिका के द्वारा प्राप्त जानकारियों में अन्तर पाया जाता है जैसे– फोटो, उम्र, आय या अन्य जानकारियाँ ऐसी स्थिति में हम किसी को जिम्मेदार नहीं बना पाते। जब कि ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारियाँ गलत पाये जाने पर ब्यूरो से स्पष्टीकरण ले सकते हैं।
- 7. प्राय: सामाजिक परंपरा के अनुसार लड़की/युवती के लिये माता-पिता योग्य वर की तलाश घर-घर जाकर कर सकते हैं, जब कि युवक/लड़के के लिये माता पिता घर-घर जाकर वधू की तलाश करने में असहज अनुभव करते हैं आप ब्यूरों के माध्यम से यह कार्य कुशलता पूर्वक करा सकते हैं।
- .8. सभी वर्ग के लोग ब्यूरो को जितना सहयोग करेंगे। ब्यूरो उतनी ही बेहतर सेवा के लिये वचन बद्ध होगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि ब्यूरो की सेवाऐं आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक और विश्वसनीय होंगी।
- 9. इस तरह के प्लेटफार्म पर पहले से कार्य किया जा रहा है हम उनसे कैसे बेहतर कार्य करें इसलिये आपके सुझाव आमंत्रित है।



मैरिज ब्यूरो के कार्य

- 1. विवाह योग्य युवक युवतियों की निरंतर जानकारी संग्रहीत करके पोर्टल / पटल पर उपलब्ध कराना।
- 2. संभावित वर-वधू के परिवारों का आपसी परिचय कराना एवं उन्हें मिलाना।
- 3. युवक-युवती का आपसी परिचय कराना।
- 4. दोनो पक्षों द्वारा दी गई जानकारी को आवश्यकतानुसार प्रामाणिक दस्तावेजों से सत्यापित कराके उपलब्ध कराना।
- विवाह योजना बनवाना।
- 6. विवाह पंजीयन करना एवं विवाह सर्टिफिकेटबनवाकर देना।
- 7. आपकी पंसद एवं प्राथमिकताओं के आधार पर युवक / युवती की जानकारी उपलब्ध कराना।

भविष्य में संस्था द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाना भी प्रस्तावित है

- वर्ष में एक बार सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन कराना।
- 2. समाज के सम्पन्न वर्ग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये विवाह समारोह प्रायोजित करवाना।
- विवाह पत्रिका का प्रकाशन।

ब्यूरो के गठन का उद्धेश्य

मानव समाज में प्रत्येक जाति, धर्म में विवाह एक अति आवश्यक संस्कार है जो न केवल सामाजिक वरन् एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार भी है। आज कल आधुनिक बनने और दिखने की चाह ने विवाह को भी व्यापार बना दिया है, झूठऔर फरेब का सहारा लेकर सत्य को छिपा दिया जाता है। इसलिए संतान के विवाह योग्य होते ही उपयुक्त वर – वधु एवं परिवार की तलाश माता – पिता के लिये सर्वाधिक चिंता का विषय बन जाती है। इन्ही सबको दृष्टिगत रखते हुये हमने "परिणय सेतु मेरिज ब्यूरो" का गठन किया गया है, जिसमें निर्धारित शुल्क लेकर सदस्यों का पंजीकरण किया जाता है तथा प्रत्येक पंजीकृत सदस्य की प्रामाणिक जानकारी ''पटल'' पर उपलब्ध कराई जाती है। हमारी इस नवगठित संस्था की कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं, जो इसे देश में चल रही अन्य वैवाहिक संस्थाओं से विश्वसनीयता के पहलू पर एक विशिष्ट पहचान देती हैं।

- यह मैरिज ब्यूरो विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का ही दूसरा नाम है। ब्यूरो के पटल पर पंजीकृत सदस्यों के द्वारा दी गई समस्त जानकारी का आधार विश्वसनीय एवं प्रमाणिकता तथा आवश्यकतानुसार दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है।
- 2. इस संस्था के माध्यम से होने वाले विवाह में व्यावसायिकता के स्थान पर भावनात्मक पहलू को प्रधानता दी गई है।
- 3. समाज में आर्थिक रूप से पिछडे एवं कमजोर वर्ग को पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट प्रदान की गई है।
- 4. ब्यूरो का गठन एक सामाजिक संस्था के रूप में किया गया है, अत: ब्यूरो की कार्यप्रणाली से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो इसका विशेष ध्यान रखा गया है।
- धोखे या गलत जानकारियों के आधार पर विवाह सम्पन्न कराने की घटनाओं में कमी लाना।

किसी भी संस्था या ब्यूरो की सफलता सदस्यों के मार्गदर्शन एवं सक्रियता पर निर्भर करती है। अत: सोद्धेश्य गठित यह ''मैरिज ब्यूरो'' अपने सभी सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करता है।

कौन सम्पर्क कर सकता है

- 1. हिन्दु धर्म के सभी अविवाहित युवक/युवती।
- 2. हिन्दु विवाह के इच्छुक अविवाहित युवक-युवती, तलाकशुदा महिला/पुरूष एवं विधवा/विधुर जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, सम्पर्क कर सकते हैं।
- 3. हिन्दु विवाह के अंतर्गत सजातीय एवं अंतरजातीय विवाह करने के इन्छुक युवक युवती भी सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट →अन्तरजातीय विवाह के इच्छुक अविवाहित युवक तलाकशुदा पुरूष, विधुर जिनकी आय 5,00,000/- (पाँच लाख वार्षिक) से अधिक हो कृपया वही सम्पर्क करें। यह शर्त महिलाओं पर लागू नहीं होती है।

परिणय सेतु मैरिज ब्यूरो के लाभ

- 1. हमारा ब्यूरो आपको आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर विवाह जानकारी देने का प्रयास करता है।
- 2. ब्यूरो द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित जानकारी लेने से दोनों पक्ष झूठी भ्रमित जानकारियों से बच सकते हैं।
- 3. कोई भी विवाह योग्य जानकारी गलत पाये जाने पर आप ब्यूरो से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 4. ब्यूरो द्वारा विवाह योग्य सत्यापित एवं प्रमाणित जानकारी लेने एवं देने से दोनों पक्षों का मूल्यवान समय एवं अनावश्यक धन के अपव्यय से बचा जा सकता है।
- 5. कभी-कभी दोनों पक्षों के अनावश्यक अहम् से बचा जा सकता है।
- 6. कभी-कभी अपरिचित व्यक्ति द्वारा आपसे विवाह जानकारी लेने पर आप उसको ब्यूरो के द्वारा जानकारी लेने की सलाह दे सकते हैं। ब्यूरो द्वारा जानकारी तभी दी जायेगी जब दूसरा पक्ष ब्यूरो पर रिजस्टर्ड होगा। इससे दोनों पक्ष एक-दूसरे की जानकारी ले सकते हैं।

शुल्क

परिणय सेतु की सेवायें प्राप्त करने के लिए एक सरल और बहुउपयोगी शुल्क ढांचा तैयार किया गया है। शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं –

क्रमांक	शुल्क की दर	प्रदान की जाने वाली सुविधा/सेवायें
1.	201/-	पंजीयन फॉर्म
2.	3100/-	दूसरे पक्ष के बायोज्जटा की जानकारी 1 वर्ष या शादी होने तक जो भी पहले हो, उपलब्ध करायी जावेगी।
3.	5100/-	दूसरे पक्ष के बायोजाटा की सत्यापित जानकारी 2 वर्ष या शादी होने तक जो भी पहले हो, उपलब्ध करायी जावेगी।
4.	7100/-	 दूसरे पक्ष के बायोखटा की सत्यापित जानकारी दी जावेगी। 2 वर्ष या शादी होने तक जो भी पहले हो तब तक जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी।

		3. आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों को ब्यूरो के पते पर मिलाया जा सकता है। (अधिकतम 3 बार)
5.	11000/-	 दूसरे पक्ष के बायोज्ञटा की सत्यापित जानकारी दी जावेगी। यह जानकारी शादी होने तक उपलब्ध करायी जावेगी। आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों को ब्यूरो के पते पर मिलाया जा सकता है। (अधिकतम 5 बार) हमारे ब्यूरों के सलाहकार/परामर्शदाता के द्वारा आवश्यकता होने पर दोनों पक्षों की मध्यस्थता करायी जा सकती है।

विशेष – जिस अभिभाषक या माता–पिता की वार्षिक आय 2,00,000/– (दो लाख) से कम है वह अपनी पुत्री/लड़की/युवती/महिला का पंजीयन नि:शुल्क करा सकते हैं।

अविवाहित युवती/तलाकशुदा/वि<mark>धवा/महिला जिनकी स्वयं की</mark> आय नहीं है उनके पंजीयन नि:शुल्क करा सकते हैं।

नोट: शुल्क का भुगतान नगद, नेटबैकिंग, यूपीआई द्वारा किया जा सकता है।

बैंक विवरण

A/c Holder Name : Rachna Shrivastava

A/c Number : **51432191006297**

Branch : **Gwalior Jail Road, Gwalior**

IFSC Code : PUNB0514310



for UPI payment Scan & Pay